कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति विदिशा
जिला–विदिशा म.प्र.

क./मंडी/निर्माण/20–21/1111 विदिशा, दिनांक 19.11.2020

:: निविदा आमंत्रण सूचना ::

कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा "क श्रेणी " मंडी द्वारा ई–टेण्डरिंग के माध्यम से **स्वयं के व्यय पर बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी0ओ0टी0) के तहत** संरचना की स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर निविदा सिस्टम क्रमांक *2020_MPSAM_115044* के अन्तर्गत **ऑन लाईन निविदायें दिनांक 15.12.2020 को शाम 5:30 बजे तक एवं भौतिक रूप से दिनांक 18.12.2020 को शाम 5:30 बजे तक** जरिये स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से (वित्तीय आफर को छोडकर) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई–निविदा के पोर्टल https://mptenders.gov.in पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल www.mpmandiboard.co.in पर भी अवलोकनीय होगी।

नोटः– आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति विदिशा
जिला विदिशा

Scanned with CamScanner

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति...विदिशा.....जिला.विदिशा..........(म.प्र.)

(मुख्य मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण)

बी.ओ.टी.आधार पर तौलकांटा स्थापना की विस्तृत शर्तें

01. तौलकांटा स्थापित करने हेतु भूखण्ड का आवंटन क़िराए पर किया जावेगा तथ आवंटन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष होगी। तौलकांटा स्थापित करने हेतु भू-खण्ड का आवंटन किराये पर किया जावेगा तथा आवंटन की अवधि 20 वर्ष होगी। 20 वर्ष की समयावधि के उपरान्त पुनः 10-10 वर्ष के लिए तौलकांटा संचालन की अवधि में वृद्धि मंडी समिति द्वारा अनुबंध की निर्धारित शर्तों पर की जावेगी, जिसमें यह शर्त अनिवार्य रूप से होगी कि संचालनकर्ता के द्वारा अद्यतन तकनीकी का इस्तेमाल किया जावेगा और तौलकांटे में आवश्यक उपकरण यदि बदलने योग्य हो तो संबंधित तकनीकी अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें बदलना होगा। आवंटित किए जाने वाले भू-खण्ड का आकार अधिकतम 20X10 वर्ग मीटर होगा। उपरोक्त सीमा से कम आवश्यकता होने पर उसी आकार क्षेत्र के भूखण्ड का आवंटन किया जावेगा। इस परिपत्र के जारी होने के उपरांत पूर्व के जिन अनुबंधों की 20 वर्ष की अवधि पूर्ण होगी समयावधि 10-10 वर्ष बढ़ाने की कार्यवाही की जावेगी।

02. आवंटित किए जाने वाले भूखण्ड का किराया कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग.भोपाल.. द्वारा मासिक दर रूपये .9600=.00....निर्धारित किया गया है। उक्त भूमि के किराए में 10% (दस प्रतिशत) की वृद्धि प्रति 03 वर्ष में मण्डी समिति द्वारा की जावेगी।

03. बी.ओ.टी. आधार पर तौलकांटा लगाने के लिए व्यक्ति/फर्म/संस्था/सहकारी संस्थाएं पात्र होगी तथा सफल निविदाकार को ''तौलकांटा संचालक'' कहा जाएगा।

04. बी.ओ.टी. पद्धति पर स्थापित किए जाने वाले तौलकांटे के संचालन की अनुबंधित अवधि समाप्त होने के पश्चात् तौलकांटे तथा इसके संचालन के लिए निर्मित की गई समस्त संरचनाएं यथावत मण्डी समिति को हस्तान्तरित की जावेगी। मण्डी समिति इस व्यवस्था के हस्तान्तरण हेतु किसी प्रकार की कोई राशि का भुगतान नहीं करेगी तथा यह सम्पत्ति मण्डी समिति के स्वामित्व की मानी जाएगी।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
विदिशा

05\. स्वीकृति पत्र जारी करने के पश्चात् 15 कार्य दिवस के अन्दर निविदाकार को निर्धारित प्रपत्र पर अनुबंध करना होगा। अनुबंध की अवधि 20 वर्ष के लिए प्रभावशील होने से अनुबंध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-क के अनुसार निर्धारित दर से स्टाम्पित होना अनिवार्य रहेगी। भूखण्ड के बाजार मूल्य का निर्धारण संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी बाजार मूल्य निर्देशिका पर आधारित रहेगा। निष्पादित किए जाने वाला अनुबंध में भूमि का स्पष्ट विवरण एवं चतुर्सीमाएं उल्लेखित की जाना तथा अनुबंध को नोटराईज्ड/पंजीयन कराया जाना अनिवार्य रहेगा। उक्त में व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि आवंटिती द्वारा व्यय की जाएगी।

06\. तौलकांटा स्थापना हेतु आमंत्रित निविदाओं में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ धरोहर राशि रूपये 1,00,000=00..(शब्दों में रूपये)(एक लाख...रुपये...) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शेडयूल बैंक के माध्यम से एफ.डी.आर.के रूप में जमा की जाएगी।

07\. निविदा सफल होने पर सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध के पूर्व वार्षिक प्रीमियम के 50 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप में जमा की जाएगी।

08\. परिपत्र की कण्डिका क्रमांक-13 अंतर्गत जमा धरोहर राशि सुरक्षा निधि तथा वार्षिक प्रीमियम के 50% के रूप में जमा की गई राशि रक्षित पेशगी (Secured Advance) रूप में मण्डी समिति के पास अनुबंध तक जमा रहेगी।

09\. मण्डी समिति में स्थापित किए जाने वाले बी.ओ.टी. तौलकांटे पर कृषि उपज की तौल के लिए प्रति ट्राला/प्रति ट्रक/प्रति ट्राली/प्रति बैलगाड़ी एवं हाथ ठेला आदि वाहनों के लिए तुलाई की दरें मण्डी समिति द्वारा निविदा बुलाने के पूर्व निर्धारित की जाएगी तथा उनका विवरण निविदा प्रपत्र में उल्लेख किया जाएगा। इन दरों में संशोधन करने के अधिकार मात्र मण्डी समिति को ही होंगे। तौलकांटा संचालक इन दरों से अधिक दर किसी भी स्थिति में कृषकों अथवा व्यापारियों से वसूल नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर तौल कांटे का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त करने हेतु मण्डी समिति सक्षम रहेगी।

फर्म/संस्था/सहकारी/संस्थाएं स्वरूप के निविदाकारों के लिए आयकर विभाग का रजिस्ट्रेशन (PAN) तथा वेट टैक्स का रजिस्ट्रेशन एवं विगत वर्ष का टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। व्यक्तिगत निविदाकार यदि सफल निविदाकार होता है तो उसे कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व उपरांक्तानुसार अभिलेख मण्डी समिति को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति

Scanned with CamScanner

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा जिला विदिशा (म0प्र0)

नोटः–परिपत्र क्र. 397 भोपाल दिनांक 17.10.2019 की विशेष शर्त

10. ऐसी स्थिति में जहाँ मंडी समिति में पूर्व से बी.ओ.टी. के आधार पर तौल कांटा स्थापित है एवं मंडी समिति में आने वाली कृषि उपज की तौल सुचारू रूप से इस कांटे पर नही हो सकने के कारण एक अतिरिक्त तौल कांटा स्थापित किया जाना हो तो अतिरिक्त तौल कांटा लगाने के पूर्व उसकी उपयोगिता का सूक्ष्म परीक्षण मुख्यालय स्तर पर किया जावेगा एवं अतिरिक्त तौल कांटा लगाये जाने के निर्णय की स्थिति में नये तौलकांटे (पूर्व स्थापित कांटे से भिन्न क्षमता) की स्थापना बी.ओ.टी. के आधार पर होगी तथा वर्तमान तौलकांटा संचालनकर्ता को उपरोक्त प्रक्रिया से प्राप्त अधिकतम दरों के समान प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावेगा। यदि वह उक्त दरों पर कार्य करने से सहमत है तो उसको अतिरिक्त तौलकांटा स्थापित करने के आदेश दिये जायेंगे। यदि वह सहमत नही होता है तो जिस निविदाकार द्वारा उच्च दरें दी गयी है उसको तौलकांटा स्थापित करने के लिए आदेश दिये जायेंगे। इस निविदा आमंत्रण में उक्त शर्त को "विशेष शर्त के रूप में" निविदा प्रपत्र में उल्लेखित किया जाना अनिवार्य होगा। यदि इस निविदा प्रक्रिया से प्राप्त उच्च दरों पर वर्तमान तौलकांटा संचालक स्थापित करने का इच्छुक होगा तो संबंधित को वहन करना अनिवार्य होगा। यदि वर्तमान तौलकांटा संचालक अतिरिक्त तौलकांटा लगाने हेतु सहमत होता है तो उसे 01 माह की अवधि में कांटा स्थापित करना आवश्यक होगा, साथ ही निर्धारित धरोहर राशि एवं 50 प्रतिशत प्रीमियम राशि आदि देय राशियां भी यथा समय जमा करना आवश्यक होगा।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
विदिशा

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
विदिशा

Scanned with CamScanner

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति विदिशा

जिला–विदिशा म.प्र.

क्र./मंडी/निर्माण/20–21/......1111 विदिशा, दिनांक 13/11/2020

निविदा विज्ञप्ति

कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा "क श्रेणी " मंडी द्वारा ई–टेण्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी0ओ0टी0) के तहत संरचना की स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर दिनांक **15.12.2020** समय **17:30** तक ऑन लाइन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी ऑनलाइन पोर्टल http://mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

निविदा सिस्टम क्रं.	इलैक्टोनिक तौल कांटें की स्थापना का स्थान	तौलकांटे की क्षमता	न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम राशि रू.	धरोहर राशि रू.	निविदा राशि रू.
	बी0ओ0टी0 आधार पर तौलकांटा स्थापना एवं संचालन स्वयं के व्यय पर मंडी प्रांगण विदिशा।	100 मै. टन	75000.00	1,00,000.00	1000.00

शर्तें :–

1. स्थापित कराये जाने वाले बी0ओ0टी0 तौलकांटे हेतु तुलाई की दरें निम्नानुसार रहेंगीं।
   - a) प्रति ट्राला 18 पहिया से अधिक :- Rs. 250/-
   - b) प्रति ट्राला 12 पहिया से 18 पहिया तक :- Rs. 160/-
   - c) प्रति ट्राला 10 पहिया तक :- Rs. 100/-
   - d) प्रति ट्रक 6 पहिया :- Rs. 60/-
   - e) प्रति ट्राली :- Rs. 30/-
   - f) प्रति बैलगाडी :- Rs. 5/-
   - g) हाथ ठेला :- Rs. 1/-
2. निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी ऑनलाइन पोर्टल http://mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा के सभी संशोधन ऑन लाइन पोर्टल http://mptenders.gov.in पर जारी किये जावेगें।
4. निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक निविदाकारों को http://mptenders.gov.in पर पंजीयन

Scanned with CamScanner

5. निविदा में भाग लेने वाले निविदाकारों को धरोहर राशि पोर्टल पर दिये निर्देशानुसार जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

6. फर्म/संस्था/सहकारी संस्था/व्यक्तिगत निविदाकार स्वरूप के ऑनलाइन निविदाकार को निम्नलिखित दस्तावेजों की वैध स्वप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करना होगी।

   a) Registration of firm/ Establishment / if personal than other such as adhar card
   b) PAN No.
   c) GST No.
   d) Recipt of Tender Fee & Deposit of EMD amount
   e) Affidavit On Rs. 100.00 Stamp Stating that Document submitted physically Online are correct and no close relative in mandi samiti and mandi board.

7. नियम व शर्तें निविदा प्रपत्र के अनुसार मान्य होगी।

8. अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त हुये दस्तावेज को मान्य नहीं किया जावेगा। **धरोहर राशि की रसीद एवं दस्तावेज दिनांक 18.12.2020 तक सिर्फ पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा, कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति विदिशा जिला विदिशा में समय 17.30 तक प्राप्त किये** जावेगें।

9. सफल निविदाकार को अनुबंध उपरांत 3 माह में तौल कांटा स्थापना संबंधी कार्य किया जाना अनिवार्य है।

10. तौलकांटा स्थापना से संबंधित अन्य शर्तें मण्डी कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।

11. किसी भी अथवा समस्त निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है, जिस हेतु कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा।

टेण्डर शैड्यूल

1	**Publishing Date**	**24.11.2020, 10:30**	2	**Document Download/ Sale Start Date**	**24.11.2020, 11:30**
3	**Bid Submission Start Date**	**24.11.2020, 17:30**	4	**Bid Submission Closing Date**	**15.12.2020, 17:30**
5	**Bid Opening Date**	**23.12.2020, 11:30**			

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा
जिला– विदिशा

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा
जिला– विदिशा

Scanned with CamScanner

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा जिला विदिशा (म0प्र0)
बी.ओ.टी. आधार पर 100 मै.टन तौल कांटा स्थापना एवं संचालन का "निविदा प्रपत्र"

परिशिष्ट "अ"

1	निविदाकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	:-	
2	निविदाकर्ता व्यक्ति/फर्म का वाणिज्य रजिस्ट्रेशन का प्रकार/निर्माता/ अधिकृत एजेन्ट / अन्य	:	
3	फर्म का अन्य विवरण व पदाधिकारियों की सूची	:	
4	अन्य जानकारी जो निविदाकर्ता आवश्यक समझे	:	
5	जमा की गई धरोहर राशि का विवरण	:	**Detail of Online Recipet**
6	पत्र व्यवहार का पता	:	

दूरभाष नंबर ....

मो.नं. ....

ई–मेल आई डी ....

निविदाकर्ता फर्म/व्यक्ति के हस्ताक्षर ....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम ....

Scanned with CamScanner

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा जिला– विदिशा (म0प्र0)
परिशिष्ट ''ब''

मेरे/हमारे द्वारा निविदा की सभी शर्तों को पढकर समझा लिया है। मण्डी द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर लिया है। इसके उपरान्त मेरे/हमारे द्वारा निम्नानुसार अपना वाणिज्यिक प्रस्ताव दिया जाता है। यदि मण्डी समिति बी.ओ.टी. आधार पर संरचना की स्थापना हेतु मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत दरों को स्वीकृत करती है तो मैं/हम आबंटन हेतु निर्धारित सभी शर्तों का पालन करेंगें। (संलग्न विस्तृत शर्तें)

1	संरचना का नाम एवं स्थान		बी0ओ0टी0 आधार पर 100 टन क्षमता का इलैक्टोनिक तौलकांटा प्रांगण विदिशा
2	वार्षिक प्रीमियम की राशि अंकों में रू		(Online Submition at http:// mptenders.gov.in Portel)
		शब्दों में रू	(Online Submition at http:// mptenders.gov.in Portel)

दिनांक ....

निविदाकर्ता फर्म/व्यक्ति के हस्ताक्षर ....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम ....

Scanned with CamScanner